भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 318*

दिनांक 08 अगस्त, 2022 को उत्तर देने के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

318*. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) चालू वर्ष के दौरान विनिवेश के लिए प्रस्तावित महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्तमान में लाभदायक महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इन उद्यमों में पूरी शेष हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, चाहे वे उद्यम लाभदायक ही क्यों न हों; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

डॉ कलानिधि वीरास्वामी द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश" विषय पर दिनांक 08.08.2022 को उत्तर देने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश में इस समय 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 74 मिनीरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज़) हैं।

(ख): सरकार ने वर्ष 2016 से सीपीएसईज़/या सहायक कंपनियों / इकाइयों / सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों के 35 मामलों के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है। ''रत्न'' की स्थिति के साथ-साथ ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अलावा, कतिपय सीपीएसईज़ में, जहां सरकार नियंत्रण बनाए रखती है, अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से विनिवेश सेबी द्वारा अनुमोदित विभिन्न तरीकों जैसे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस), शेयरों का बायबैक आदि के माध्यम से समय-समय पर मौजूदा बाजार स्थितियों और निवेशकों के हित के आधार पर किया जाता है।

(ग): वर्ष 2020-21 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 20-21 में 10 महारत्न, 11 नवरत्न और 62 मिनीरत्न सीपीएसईज़ ने लाभ की सूचना दी है।

(घ) और (ङ): फरवरी 2021 में, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई लोक उद्यम ("पीएसई") नीति को अधिसूचित किया। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की उपस्थिति को कम करना है। नई लोक उद्यम ("पीएसई") नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है। इनमें (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।

रणनीतिक क्षेत्रों में होल्डिंग कंपनी स्तर पर मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को सरकार के नियंत्रण में रखा जाना है। रणनीतिक क्षेत्र में शेष उद्यमों को निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय /सहायक बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाना है। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजीकरण के लिए विचार किया जाना है, जहां संभव हो, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने के लिए विचार किया जाना है।

*****

दिनांक 08.08.2022 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 318* के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियों/इकाईयों/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों की सूची, जिनके लिए सरकार ने 2016 से रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया है।

क) चालू लेन-देन जिनपर दीपम द्वारा कार्रवाई की जा रही है

क्र. सं.	सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियां/इकाइयां/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों का नाम	रत्न का दर्जा
1.	बीईएमएल लिमिटेड	मिनीरत्न
2.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
3.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	मिनीरत्न
4.	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
5.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (सहायक)	मिनीरत्न
6.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न
7.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
8.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नवरत्न
9.	एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट	नवरत्न
10.	(क) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर)@ (ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बीपीसीएल की हिस्सेदारी को रणनीतिक खरीदार सीपीएसई को $	महारत्न
11.	पवन हंस लिमिटेड	मिनीरत्न
12.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	---
13.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	मिनीरत्न
14.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
15.	मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर ^; सलेम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इस्पात संयंत्र - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां	महारत्न

@ईओआई प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया क्योंकि अधिकांश योग्य बोलीदाता आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे।
$ लेन-देन पूर्ण हुआ
^ लेन-देन फिलहाल रुका हुआ है।

ख) चल रहे लेन-देन जिनपर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जा रही है

क्र. सं.	सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियां/इकाइयां/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों का नाम	रत्न का दर्जा
16.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयां	मिनीरत्न
17.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	---
18.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	---

ग) मुकदमेबाजी के कारण रुका हुआ लेन-देन

क्र. सं.	सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियां/इकाइयां/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों का नाम	रत्न का दर्जा
19.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	---

घ) सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए सिफारिश /अनुमोदन या किसी अन्य कारण से लेनदेन रोक दिया गया है।

क्र. सं.	सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियां/इकाइयां/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों का नाम	रत्न का दर्जा
20.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (सहायक) *	---

21.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड *	---
22.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड *	मिनीरत्न
23.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	---
24.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नयागांव इकाई) की इकाइयां#	---

*तत्पश्चात् सरकार ने कंपनी को बंद करने का अनुमोदन कर दिया।
#लेन-देन व्यवहार्य नहीं है और खानों को राज्य सरकारों को वापस किया जा रहा है।

ङ) <u>लेन-देन पूर्ण हुआ</u>

क्र. सं.	**सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियां/इकाइयां/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों का नाम**	**रत्न का दर्जा**
25.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	महारत्न
26.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
27.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	मिनीरत्न
28.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
29.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
30.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
31.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न
32.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	मिनीरत्न
33.	एयर इंडिया **	---
34.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (चार सीपीएसईज़ और दो राज्य पीएसईज़ के संयुक्त उद्यम)	---

च) <u>एनसीएलटी में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत</u>

क्र. सं.	**सीपीएसईज़ और/या सहायक कंपनियां/इकाइयां/सीपीएसईज़ के संयुक्त उद्यमों का नाम**	**रत्न का दर्जा**
35.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (सहायक)***	मिनीरत्न

** सहायक कंपनियां जो अब एआईएएचएल के साथ हैं, उन्हें अभी भी विनिवेशित किया जाना है

*** एनसीएलटी, कोच्चि द्वारा दिनांक 29.01.2021 के आदेश के तहत अनुमोदित केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) की समाधान योजना वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है।

*****